Lecture on IPR, TRADEMARKS, TRADE SECRETS (06 January 2020)

On 6 January 2020 Physics Department of Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous College, Durg organized an interactive session in the presence of one of the bursting young minds**Dr. Nilesh Ugemuge** Assistant professor, Anand Niketan Colleg , Warora.He is Ph.D.(Physics and Management). The topic of his research is "Synthesis and characterization of fluorides by solid state metathesis. He delivered a detailed lecture on Patentand its process.He also explained the importance of entrepreneurship in the field of research and development. He told several short stories as an example to present wider view of real life circumstances and our thoughts towards our career. He left a positive impression on all Research Scholars, PG and UG students who were gathered there.He especially gave an impressive talk on legal IPR, TRADEMARKS, TRADE SECRETS, INDUSTRIAL DESIGN and COPYRIGHTS etc. Stage Conduction has been done by Pratiksha Tiwari M.Sc. Physics. Head of department Dr. Purna Bose , Mrs. Siteshwari Chandrakar, Dr. Abhishek Kumar Misra along with all students of PG and UG were present . In the end of program, Ashish Dewangan student ofM.Sc. Chemistry gave vote of thanks.

DEPARTM

Photos during lecture

DEPARTMENT OF PHYSICS

हरिभूमि

रायपुर - इस्पात भूमि

Date - 10 Jan'20

किया। जिसके बाद उन्होंने घर का कचरा बाहर फेंकने वाली महिला मीनाक्षी सोनी से 500 रुपए जुर्माना वसूला। तत्पश्चात निगम के अमले के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, दरोगा सुरेश भारती, प्रताप सोनी और सफाई सुपरवाईजर उपस्थित थे।

मानदेय बढ़ाने की मांग की है। बैठक में विष्णु चंद्राकर, वाल्मीकि सिंह, भुनेश्वर वैष्णव, पंचूराम, दानकुंवर, लता साहू, सावित्री साहू, भगवान दास, राम बिहारी शर्मा, सीमा कोसल आदि मौजूद थे।

सहायिका की भर्ती के लिए 23 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना भिलाई से संपर्क करने कहा गया है।

जिला कार्यकारणी की नियमित बैठक एवं दौरा करने निर्दिष्ट किया। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी को 17

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ आयोजन

किसी के विचार या ट्रेड मार्क की नकल करना गैर कानूनी

हरिभूमि न्यूज ▸▸ दुर्ग

गुरुवार को शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में आईक्यूएसी तथा भौतिक शास्त्र विभाग द्वारा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों (आईपीआर) के बारे में एक आमंत्रित व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रियदर्शिनी इंजीनियरिंग महाविद्यालय नागपुर के डॉ. निलेश उगेमुगे ने विशेषज्ञ के तौर पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ. पूर्णा बोस विभागाध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ भेंटकर अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए एमएससी तृतीय सेमेस्टर भौतिक शास्त्र की प्रतिक्षा तिवारी ने डॉ निलेश का संक्षिप्त परिचय दिया। डॉ. निलेश ने विद्यार्थियों को अलग-अलग कानूनी एक्ट तथा नियमों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने नवीनतम सोच तथा नवाचार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। कारोबार से जुड़े शब्दों उद्यमिता, ट्रेड सिक्रेट, पेटेंट के बारे में भी उन्होंने सारगर्भित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेटेंट की समय सीमा 20 वर्ष तक होती है। इस अवधि के पश्चात कोई भी व्यक्ति पेटेंट का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रेड मार्क की समय सीमा दस वर्ष तक होती है। डॉ निलेश ने कहा कि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों को दर्ज कराने वाले कार्यालयों तथा किसी के नवीन विचार या ट्रेड मार्क की नकल करना गैर कानूनी है। उन्होंने इस प्रवृत्ति से बचने की सलाह दी। एमएससी प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर भौतिक तथा रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। धन्यवाद ज्ञापन एमएससी तृतीय सेमेस्टर रसायन शास्त्र के आशीष देवांगन ने किया। कार्यक्रम के दौरान सीतेश्वरी चंद्राकर, डॉ. अभिषेक मिश्रा, डॉ. नेहा तिवारी, तीरथ सिन्हा, नीरज वर्मा, भूपेन्द्र, धनेश के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

■ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विषय पर दिया व्याख्यान

बौद्धिक संपति व पेटेंट में बताया अंतर

आईक्यूएसी संयोजक डॉ. जगजीत कौर सलूजा ने बताया कि इस व्याख्यान का उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीन खोज के दुरुपयोग या नकल रोकने के बारे में जागरूक करना था जिससे वे भविष्य में अन्य की खोज की नकल करने से बचें। व्याख्यान के दौरान विद्यार्थियों को कॉपीराइट तथा बौद्धिक संपत्ति में अंतर और पेटेंट एक अधिकार है के बारे में समझाया गया जो किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिल्कुल नई सेवा तकनीकी प्रक्रिया या उत्पाद की डिजाइन करने के लिए प्रदान किया जाता है। प्राचार्य डॉ. आर.एन. सिंह ने आयोजित व्याख्यान की सफलता के लिए बधाई देते हुए भौतिक शास्त्र विभाग के इस प्रयास की भरपूर प्रशंसा की।

साइंस कॉलेज में बौद्धिक संपत्ति अधिकार विषय पर हुआ व्याख्यान

किसी के पेटेंट या ट्रेडमार्क की नकल करने की बजाए अपना इनोवेशन करें- डॉ. उगेमुगे

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

भिलाई. किसी के इनोवेशन को चुराना या उसकी नकल करना गैरकानूनी है। अगर आपने कोई नई खोज की है तो उसका पेटेंट भी जरूर कराएं ताकि वह आपकी संपत्ति बनकर रहे। यह बातें साइंस कॉलेज में अपने व्याख्यान में एक्सपर्ट डॉ. निलेश उगेमुगे ने कही। कॉलेज के आईक्यूएसी एवं भौतिकशास्त्र विभाग की ओर से बौद्धिक संपत्ति अधिकारों (आईपीआर) व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग महाविद्यालय नागपुर से आए डॉ. निलेश उगेमुगे ने व्याख्यान दिया।

नकल करने की बजाए खुद करें इनोवेशन

आईक्यूएसी संयोजक डॉ. जगजीत कौर सलूजा ने बताया कि इस व्याख्यान का उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीन खोज के दुरूपयोग या नकल रोकने के बारे में जागरूक करना है, जिससे वे भविष्य में किसी दूसरे की खोज की नकल करने से बचें एवं अपनी बौद्धिक संपत्ति की भी रक्षा करें, क्योंकि उसे क्षति पहुंचाने या चोरी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। विद्यार्थियों को कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपत्ति में अंतर एवं पेटेंट के बारे में समझाया। प्राचार्य डॉ. आर.एन. सिंह ने इस व्याख्यान को छात्रों के लिए उपयोगी बताया। धन्यवाद ज्ञापन एम.एससी. तृतीय सेमेस्टर रसायन शास्त्र के आशीष देवांगन ने किया। इस अवसर पर सीतेश्वरी चंद्राकर, डॉ. अभिषेक मिश्रा, डॉ. नेहा तिवारी, तीरथ सिन्हा, नीरज वर्मा, भूपेन्द्र, धनेश आदि उपस्थित थे।

उन्होंने विद्यार्थियों को अलग-अलग कानूनी एक्ट एवं नियमों के बारे में बताया। नवीनतम सोच एवं नवाचार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कारोबार से जुड़े शब्दों जैसे उद्यमिता, ट्रेड सिक्रेट, पेटेंट के बारे बताया कि पेटेंट की समय सीमा 20 वर्ष तक होती है, इस अवधि के बाद कोई भी व्यक्ति पेटेंट का इस्तेमाल कर सकता है, ट्रेड मार्क की समय सीमा दस वर्ष तक होती है। डॉ. निलेश ने बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को दर्ज कराने वाले कार्यालयों की जानकारी देते हुए कहा कि किसी के नवीन विचार या ट्रेडमार्क की नकल करना गैर कानूनी है। इससे हमें बचना चाहिए। एम.एससी. प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर भौतिक तथा रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया।

दैनिक भास्कर
10-Jan-2020
Page 3

20 साल के लिए पेटेंट और 10 साल के लिए रहता है ट्रेडमार्क: डॉ. नीलेश

बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की जानकारी देने साइंस कॉलेज में हुआ व्याख्यान

एजुकेशन रिपोर्टर | भिलाई

साइंस कॉलेज के भौतिकी विभाग की ओर से बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के संबंध में हुए व्याख्यान में प्रियदर्शिनी इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर के डॉ. नीलेश उगेमुगे ने विद्यार्थियों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कारोबार से जुड़े शब्द जैसे उद्यमिता, ट्रेड सिक्रेट, पेटेंट आदि अलग-अलग है। पेटेंट की समय सीमा 20 वर्ष और ट्रेडमार्क की अवधि 10 साल होती है। 20 साल के बाद कोई भी व्यक्ति पेटेंट का उपयोग कर सकता है।

उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को दर्ज कराने वाले कार्यालयों तथा नए विचार या ट्रेडमार्क का नकल करना गैरकानूनी है। इससे हमें बचना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से पेटेंट

साइंस कॉलेज दुर्ग में हुए व्याख्यान में शामिल हुए सदस्य।

छात्रा प्रतीक्षा तिवारी ने अतिथियों का परिचय दिया। व्याख्यान के बाद विद्यार्थियों ने पेटेंट और ट्रेडमार्क से संबंधित सवाल पुछे, जिसका डॉ. नीलेश ने जवाब भी दिया। कार्यक्रम में आशीष देवांगन, सीतेश्वरी चंद्राकर, डॉ. अभिषेक मिश्रा, डॉ. नेहा तिवारी, तीरथ सिन्हा, नीरज वर्मा, भुपेंद्र, धनेश आदि उपस्थित थे।

के दुरूपयोग या नकल से रोकने के लिए जागरूक करना है। इससे भविष्य में किसी दूसरे की खोज का नकल करने से बच सकेंगे। साथ ही अपनी बौद्धिक संपत्ति की रक्षा भी कर सकेंगे।

उन्होंने कॉपीराइट और बौद्धिक संपत्ति में अंतर को बताया। कहा कि पेटेंट किसी व्यक्ति या संस्था को बिलकुल नई सेवा, तकनीकी